# ikDdFku

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखे जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 'रत्ना एवं आर–सीरीज हाइड्रोकार्बन क्षेत्र' की लेखापरीक्षा के परिणाम अन्तर्विष्ट हैं। रत्ना एवं आर सीरीज (आर एवं आर एस) मध्यम आकार के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र मुम्बई शहर के दक्षिण पश्चिम से 130 किलोमीटर पश्चिमी अपतट क्षेत्र (45 मीटर की औसत जल की गहराई पर) में स्थित हैं। इन क्षेत्रों को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा नवम्बर 1979 में खोजा तथा आंशिक रूप से विकसित किया गया था। ओ एन जी सी ने इन क्षेत्रों से कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी 1983 में प्रारंभ किया। इन क्षेत्रों को और अधिक विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ करने पर, ओ एन जी सी ने सितंबर 1994 से इन क्षेत्रों से उत्पादन को रोक दिया। यद्यपि, आर एवं आर एस क्षेत्रों हेतु लैटर ऑफ अवार्ड सफल बोलीदाताओं के एक संघ (सी ओ एस बी) को मार्च 1996 में जारी कर दिया गया था तथा सी सी ई ए ने मार्च 1999 में उत्पादन सहभागिता अनुबन्ध को अन्तिम रूप देकर पूर्ण करने हेतु अनुमोदित किया, रत्ना एवं आर सीरीज क्षेत्रों हेतु उत्पादन सहभागिता अनुबंध को आरंभ करने हेतु भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

यह प्रतिवेदन निर्णय निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करता है जिनके कारण सी सी ई ए अनुमोदन के पश्चात् 16 वर्षों से भी अधिक की देरी हुई और देश इन खोजे गए क्षेत्रों से हाइड्रोकार्बन उत्पादन से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं ओ एन जी सी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों, सूचना एवं स्पष्टीकरण जिससे लेखापरीक्षा का सुगम समापन हुआ, में दिए गए सहयोग को अभिस्वीकृत करना चाहती है।